



2026:AHC: 54695

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4645/2026

मोनी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ, उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अतुल कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- 1- राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
- 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
- 3- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान अपराध संख्या 127 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. और धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- 4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन झूठे अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
- 5- उन्होंने आगे तर्क दिया, वास्तव में मृतका माइग्रेन से पीड़ित थी और इसलिए, वह जीवन में परेशान रहती थी और केवल इसी कारण से उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह सुझाव देती है कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगने के कारण हुई है।
- 6- उन्होंने आगे तर्क दिया, यद्यपि, एफ.आई.आर. के बाद जब सूचनादाता का प्रथम बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज किया गया था, तब उसने एफ.आई.आर. के वृत्तांत का समर्थन किया था, लेकिन विवेचना के दौरान उसने शपथपत्र दाखिल किया और शपथपत्र में उसने कहा कि अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक शराब का सेवन करता था और उसकी बेटी माइग्रेन से पीड़ित थी और इसलिए आवेदक की आदत और उसकी बीमारी के कारण उसने आत्महत्या कर लिया और उसका दूसरा बयान पेपर बुक के पृष्ठ-80 पर संलग्न किया गया है।

7- उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया, सूचनादाता का शपथपत्र और दूसरा बयान स्पष्ट रूप से यह सुझाव देता है कि झूठे अभिकथन के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

6- उन्होंने आगे तर्क दिया, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 15.08.2025 से यानी पिछले सात महीने से अधिक समय से कारागार में है।

7- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर आगे बढ़ाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9- यद्यपि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर उसके वैवाहिक घर में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और दहेज की मांग (demand of dowry) के संबंध में यातना का भी अभिकथन है, लेकिन मृतका की मृत्यु फाँसी लगने के कारण हुई। आगे यह परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान सूचनादाता ने एक शपथपत्र दाखिल किया और उसके बाद उसका बयान दर्ज किया गया और उसके अनुसार आवेदक शराब का सेवन करता था और मृतका माइग्रेन से पीड़ित थी और इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया था।

10- इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 15.08.2025 से यानी पिछले सात माह से अधिक समय से कारागार में है।

11- इसके अलावा, विधि स्थापित है कि जब तक दोष साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

12- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए, वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14- आवेदक - **मोनी** को उपरोक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के वाद में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16- यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

आशीष/-

(न्यायमूर्ति समीर जैन)